2017/0008

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2017

अपीलांट
स्व.आदूराम पुत्र लाखा के
कायम मुकाम–
1.राजों पत्नी आदुराम
2.खेताराम पुत्र आदुराम
3.खेताराम पुत्र आदुराम
4.धर्माराम पुत्र आदुराम
5.ठाकराराम पुत्र आदुराम
6.नरसींगाराम पुत्र आदुराम
7.आसुराम पुत्र आदुराम
8.रावताराम पुत्र आदुराम
9.विशनाराम पुत्र आदुराम
जाति कुम्हार निवासी तारातरा
तहसील चौहटन

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1नीम्बा पुत्र किस्तुरा
2.नवला पुत्र किस्तुरा
जाति कुम्हार निवासी
तारातरा तहसील चौहटन
3.राजस्थान सरकार जरिये
नायब तहसीलदार चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.2001 जो नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम तारातरा के नामान्तरकरण संख्या 158 पर पारित किया गया।

उपस्थितः–1.श्री विष्णु चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री बाबुलाल जाणी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.06.2018

1. अपीलांट ने यह अपील मौजा तारातरा के नामान्तरकरण संख्या 158 पर नायब तहसीलदार ,चौहटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2001 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पूर्वज आदू एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1017 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1018 रकबा 21 बीघा व 03 बिस्वा भूमि ग्राम तारातरा में आई हुई है, जिसमें अपीलांट्स के पूर्वज आदू का 2/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वर्ष 2001 में प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम सणाऊ में केम्प लगने पर अपीलांट्स के पूर्वज आदू व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 अपने कब्जे काश्त व जमाबन्दी में दर्शाये हिस्सेनुसार उक्त भूमि का विभाजन जमाबन्दी में अंकित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करने के आदेश पारित किये। जिस आदेश के तहत ही रेस्पोडेंट संख्या 03 ने नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 19.12.2001 पारित किया। मगर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय रेस्पोडेंट संख्या 03 ने अपीलाट के पूर्वज व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के मध्य भूमि का सही इन्द्राज न कर अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा अंकित करते हुए गलत नामान्तरकरण पारित किया। अपीलांट ने इस विभाजन आदेश को गलत बताते हुए इस आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 19.12.2001 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर सुमार करने का निवेदन कियां। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।इस पर बाद सुनवाई अपीलांट्स की अपील आदेश दिनांक 13.02.013 द्वारा मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स ने डिविजनल कमिश्नर जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 28/2013 पेश की, जो निर्णय दिनांक 28.01.2014 को अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2013 तथा नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 19.12.2001 को निरस्त कर तहसीलदार चौहटन को मामला प्रति–प्रेषित किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 नीम्बा,नवला पिसरान किस्तुरा ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 848/2014 पेश की, जो निर्णय दिनांक 14.02.2017 द्वारा निगरानी स्वीकार कर डिविजनल कमिनर जोधपुर के निर्णय को अपास्त कर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया।

3. इस पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस वास्ते सुनवाई हेतु तलब किया गया।

4. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलांट् के विद्वान अधिवकता का यह तर्क है कि अपीलांट के पूर्वज आदू एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1017 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1018 रकबा 21 बीघा व 03 बिस्वा आई हुई है जिसमें अपीलांट्स के पूर्वज आदू का 2/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। अपीलांट्स के पूर्वज आदू व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा तत्तसमय जमाबन्दी के अनुसार अपीलांट को 2/3 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा विभाजन करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 03 नायब तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया मगर पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना मौके की जॉच व

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जमाबन्दी में अंकित हिस्सो को ध्यान में नहीं रखते हुए विभाजन आदेश अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के मध्य पूर्व मे हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके की ढाणी,बाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये, विवादग्रस्त खेतो में अपीलांट को 35 बीघा भूमि दी गई जबकि हमारे हिस्से में 48 बीघा भूमि बंट में आती है विभाजन आदेश की पालना में दिनाक 19.12.2001 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्ध एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। उन्होने तर्क दिया कि स्टाम्प क्रमांक 152 कोष कार्यालय बाड़मेर द्वारा कोई स्टाम्प जारी नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत विभाजन एग्रीमेंट मे जो एग्रीमेंट पेश किया गया। उस पर आदू का अंगुष्ठ निशान फर्जी है और फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्रयोग में लिया गया है। विभाजन आदेश दिनांक 19.12.2001 का कोई रिकॉर्ड तहसील कार्यालय चौहटन में भी नहीं है इसलिये कुट रचित एंव फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार विभाजन आदेश गलत होने एंव इसी आधार पर फर्जी पारित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर वादग्रस्त खेत में अपीलांट्स के 2/3 हिस्से व शेष 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के के नाम विभाजन कर नामान्तरकरण पारित करने का निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने विभाजन आदेश की प्रति पेश करते हुए यह तर्क है कि अपीलांट के पूर्वज आदू एंव उतरदातागण द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा तारातरा के खसरान की भूमि में सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से नायब तहसीलदार चौहटन के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा नक्शा मौके पर जाकर सभी खातेदारान की सहमति से बनाकर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार चौहटन ने समस्त काश्तकारों की सहमति एंव उनकी उपस्थिति में बाद जॉच मौके एंव कब्जे अनुसार सही रूप से विभाजन विलेख को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है,जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 19.12.2001 पारित किया गया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। हस्तगत अपील में नायब तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित विभाजन आदेश के अनुसरण में पारित नामान्तरकरण को चुनौती दी है। इस नामान्तरकरण अपील में विभाजन आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी दिशा में यह अपील चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन कियां। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 158 एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विभाजन पत्रावली तलब करने पर तहसीलदार चौहटन ने अपने पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा विभाजन आदेश का रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दस्तावेज मौजा तारातरा की खतौनी संम्वत 2012 से 2031 में आदू के पिता लाखा का वादग्रस्त खसरो की भूमि में 2/3 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के पिता किस्तुरा का 1/3 हिस्सा अंकित है। अतः प्रकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान के मध्य विवाद है पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसानो का हक जन्म से ही होता है।अत' ग्राम तारातरा के खेत खसरा नम्बर 1017 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1018 रकबा 21 बीघा व 03 बिस्वा भूमि अपीलांट के पूर्वज आदू एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से विवादग्रस्त भूमि में अपीलांट्स के पूर्वज आदू का 2/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 व02 के अनुसार विभाजन होना चाहिये और उसी के अनुरूप नामान्तरकरण पारित होना चाहिये है,जो नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, चौहटन ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने एंव नामान्तरकरण से पूर्व रिकॉर्ड एंव मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2001 को अपास्त किया जाता है, और मामला तहसीलदार, चौहटन को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि मौजा तारातरा के खसरा नम्बर 1017 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1018 रकबा 21 बीघा व 03 बिस्वा भूमि में अपीलांट्स के पूर्वज आदू के 2/3 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के पिता किस्तुरा का शेष 1/3 हिस्सा की रिकॉर्ड एंव मौके की स्थिति की विस्तृत जॉच कर पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर